तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बाजदायरी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस तर्क दिया कि अपीलार्थी ग्राम सुखवास तहसील खण्डार का स्थाई निवासी है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विरूद्ध दिनांक 06.12.1990 प्रत्यर्थी के विरूद्ध पेश की जो न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन थी। दिनांक 18.07.2024 को अपीलार्थी व अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी गलत नोट होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं हो सका और अपीलार्थी के पास भी गलत तारीख पेशी नोट होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं हो सका। अपीलार्थी ने दिनांक 17.02.2025 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि आप की अपील अनुपस्थित होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई है। अपीलार्थी की अपील पुनः स्थापित कर अपीलार्थी को नहीं सुना गया तो अपीलार्थी का अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही विफल हो जावेगा। अन्त में वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार फरमाकर उक्त अपील पुनः रेस्टोर करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी ने कथनों के समर्थन में दस्तावेजो की सूची के अनुसार लिमिटेशन एक्ट 1963 पेश किया। वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी द्वारा बहस में दिये गये तर्क का खण्डन करते हुए बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा में दिनांक 18.07.2024 को अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी। वकील प्रार्थी द्वारा यदि तारीख गलत नोट हो गई थी तो उनके द्वारा 7 माह में भी सही तारीख तलाश नहीं की गई। रेस्टोरेशन हेतु 30 दिन की मियाद है उक्त मियाद के भीतर ही अपील का प्रावधान है तो अपील 7 माह बाद कैसे हो सकती है। अतः रेस्टोशन प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथनो के समर्थन में लिमिटेशन एक्ट 1963 के बिन्दु संख्या 122 की प्रति पेश की। बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा पेश किए गए दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.07.2024 के द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई अपील को रेस्टोर करने हेतु पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.07.24 से 28.08.25 तक लगभग 7 माह तक की अवधि के दौरान रेस्टोरेशन प्रा0पत्र पेश नहीं करने का समुचित/पर्याप्त कारण पेश नहीं किया गया है। जबकि रेस्टोरेशन की मियाद 30 दिन है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी मियाद बाहर पेश करने का समुचित कारण पेश नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:46 IST
Reason: SelfAttested